न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

सरकार बनाम तरूण शर्मा

मुकदमा नम्बर 23/2020/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

26.02.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन व लिखित बहस का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि "पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उपरोक्त नमूना स्थल, कम्पनी धरमपाल सत्यपाल की दही बनाकर, पैकिंग कर, लेबलिंग कर पूर्णतः विधिक जांच पश्चात् फेक्ट्री के बाहर खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु भेजता है किन्तु उक्त प्रकरण में नमूना दही का जो लिया गया वह निर्माण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में था अर्थात् नमूना दिनांक व समय पर दही बेचने के लिए नहीं था। प्रकरण में नमूना प्रक्रिया का पूर्ण विवरण, न्याय निर्णय हेतु दिए गये आवेदन पत्र में पूर्ण रूप से नहीं दी गई है जो निम्नानुसार है– कुल दही 800 ग्राम को लेकर 200–200 ग्राम चार भागों में विभक्त कैसे किया यानि तोलकर या पैमाने से नापकर। नमूना प्रक्रिया के समय अन्य उपकरण जैसे तराजू, अन्य बरतन, चम्मच आदि का जिक्र नहीं है। दस्तावेजों से यह भी प्रदर्शित नहीं होता है कि कुल 800 ग्राम दही को एक सार कैसे किया व फिर चार भागों में विभक्त किया आदि–आदि। अतः उपरोक्त बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में खाद्य सुरक्षा अधि. 2011 के तहत उपरोक्त प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्व निरस्त करने की कृपा करें।" पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.10.2019 को निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे दही का नमूना संख्या एफ–1657 लिया गया। उक्त नमूना जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2606/एक्ट/2019/2143 दिनांक 19.11.2019 के मुताबिक उक्त नमूना Sub-standard का पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा उक्त दही का नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का पाये जाने के पश्चात् दिनांक 25.11.2019 को	

अप्रार्थी को उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर रेफरल लैब से पुनः जांच हेतु आवेदन पेश करने हेतु लिखा गया। अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं नमूना अमानक स्तर का पाये जाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने एवं नमूना जांच हेतु अलग–अलग भागों में विभाजित करने सम्बंधी सम्पूर्ण उल्लेख फार्म–VA व फर्द रिपोर्ट में उल्लेखित किया हुआ है जिस पर अप्रत्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त नमूना अमानक स्तर का नहीं होने के सम्बंध में जवाब आवेदन व लिखित बहस के सलंग्न किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना अमानक स्तर का पाये जाने से अप्रार्थी को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थो का विक्रय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत **अप्रार्थी के 15,000/– रूपये** का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थी के विरूद्व इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

26/2/16

न्याय निर्णायक अधिकारी
एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट)
सीकर (राज.)